राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	3432/2021	रजीराम	1. शासन सचिव, गृह, राजस्थान, जयपुर। 2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर। 3. महानिरीक्षक पुलिस, बीकानेर रेंज, बीकानेर। 4. पुलिस अधीक्षक, भर्ती एवं पदोन्नति मण्डल, राजस्थान, जयपुर।
2.	3433/2021	रूपाराम	

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.08.2021
आदेश की दिनांक : 05.12.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री महेन्द्र जोशी, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम.एस.काला, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

उपरोक्त अपीलों में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों में चुनौती का आधार एवं तथ्यात्मक स्थिति समान होने से, न्यायहित में अपील संख्या 3432/2021 रजीराम की अपील को अग्रग अपील मानकर उसके तथ्य लेते हुए, उक्त शीर्षक टेबिल में अंकित अपील को एक ही आदेश से निस्तारित किया जा रहा है।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के आधारों को दोहराते हुए तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में उप निरीक्षक के पद पर पुलिस लाईन, बीकानेर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 10.08.2020 (अनुलग्नक–2) के द्वारा दिनांक 01.04.2020 की स्थिति अनुसार उपनिरीक्षक की स्थाई वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 448 पर अंकित है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.12.2019 (अनुलग्नक–3) के द्वारा पुलिस निरीक्षक के पद की वर्ष 2019–20 की योग्यात्मक परीक्षा आयोजन करने के संबंध में सूचना देते हुए योग्य उपनिरीक्षक की वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 308 पर बीकानेर रेंज में था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 15.12.2019 (अनुलग्नक–4) के द्वारा योग्यात्मक परीक्षा परिणाम जारी किया गया, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 136 पर अंकित है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2019 (अनुलग्नक–5) के द्वारा 120 उपनिरीक्षकों को निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किए

जाने की अभिशंषा की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम नहीं था, जबकि अपीलार्थी निरीक्षक के पद की सम्पूर्ण योग्यता पूर्ण करता था। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 15.01.2021 को प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर वर्ष 2019–20 की पुलिस निरीक्षक के पद पर परीक्षा को रिव्यू करने का निवेदन किया गया कि अपीलार्थी वर्ष 2012–13 की रिक्ति के विरूद्ध उपनिरीक्षक के पद पर वर्ष 2019 में पदोन्नत किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की वर्ष 2019 से वरिष्ठता न मानी जाकर वर्ष 2012–13 से वरिष्ठता मानी जाकर पदोन्नति देने का अनुरोध किया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.03.2021 (अनुलग्नक–1) के द्वारा उप निरीक्षक पद की चयन सूची पर लिये जाने की तिथि से परीक्षा के आयोजन की दिनांक 21.11.2019 तक प्राप्त पुरूस्कार/प्रशंसा पत्र/रिवार्ड सम्मिलित किये गये है। अतः उक्तानुसार संबंधित कार्मिकों को अवगत कराने हेतु अनुरोध है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 10.08.2020 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2012–13 से 2016 की अवधि में प्राप्त अवार्ड/रिवार्ड/प्रशंसा पत्र किए गए थे, उनको कन्सीडर नहीं किया गया, जो कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 36 का उल्लंघन है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 02.06.2021 (अनुलग्नक–7) के अनुसार ''वर्तमान धारित पद पर पदोन्नति हेतु जिस वित्तीय वर्ष की रिक्तियों के विरूद्ध चयन किया गया है उसी वित्तीय वर्ष से, उच्च पद की योग्यात्मक परीक्षा के वित्तीय वर्ष की रिक्तियों के पहले (अर्थात 31 मार्च) तक के पुरस्कार व सजा के अंकों की गणना की जायेगी। लेकिन पुरस्कार व सजा के अंकों की गणना एक से अधिक पद की पदोन्नति प्रक्रिया हेतु नहीं की जायेगी।'' अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी ने उपनिरीक्षक के पद पर वर्ष 2012–13 से प्राप्त अवार्ड/रिवार्ड/प्रशंसा पत्र की गणना की जाने से अधिक वरिष्ठता हो जाएगी, जिससे अपीलार्थी का निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हो सकती है। अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में गोकुल सिंह बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान बताया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलार्थी के उपनिरीक्षक के पद पर वर्ष 2012–13 से 2019 तक प्राप्त अवार्ड/रिवार्ड/प्रशंसा पत्र की गणना की जाकर अपीलार्थी को वर्ष 2019–20 की योग्यात्मक परीक्षा में सम्मिलित कर अपीलार्थी को निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दी जाकर समस्त पारिणामिक लाभ दिए जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी विभाग के स्थाई आदेश संख्या 15/2017 दिनांक 01.11.2017 (अनुलग्नक–आर/1) की पालना में अवार्ड एवं दण्ड उप निरीक्षक के पद पर की गई सेवाओं की अवधि में प्राप्त किए गए, पर नम्बर दिए जाने पर विचार किया गया है। अपीलार्थी पूर्ण योग्यता रखता है एवं पदोन्नति का पात्र है। अपीलार्थी द्वारा तीनों पेपर पास कर लिए गए थे परन्तु अपीलार्थी समग्र प्राप्तांक (aggregate marks) प्राप्त करने में असफल रहा है इसलिए अपीलार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ है (अनुलग्नक–आर/2)। इसलिए रिव्यू कमेटी द्वारा अपीलार्थी पर विचार नहीं किया

गया है। निरीक्षक की परीक्षा विभाग के स्थायी आदेश क्रमांक 15/2017 दिनांक 01.11.2017 की शर्तों में ली गई थी, जिसमें प्रावधान किया गया है कि उप निरीक्षक के पद पर कार्य करने की अवधि में प्राप्त अवार्ड एवं सजा पर ही विचार किया जावेगा। उपरोक्त नियम सभी अभ्यर्थी पर समान रूप से वर्ष 2019 में आयोजित योग्यात्मक परीक्षा में लागू किए गए है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 02.06.2021 का नियम 36 के सन्दर्भ में उक्त नियम निरीक्षक की योग्यात्मक परीक्षा 2019 का परिणाम घोषित करने के पश्चात् जारी किया गया है एवं उल्लेखनीय है कि अवार्ड एवं दण्ड के अंक केवल एक ही पदोन्नति देने के लिए एक ही बार किए जाते है। इसलिए वर्ष 2012–13 से अपीलार्थी के उप निरीक्षक के पद के कार्यकाल के अवार्ड/दण्ड के अंक शामिल नहीं किए गए तथा नियम 36 वरिष्ठता निर्धारण करने में लागू होता है वरन् न कि पदोन्नति परीक्षा में नम्बर दिए जाने में होता है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निरीक्षक की योग्यात्मक परीक्षा में प्राप्त अंकों का विवरण अनुलग्नक–आर/2 पर अवलोकनीय है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 02.06.2021 निरीक्षकों के अन्तिम परिणाम घोषित करने के बाद जारी किए गए है। उक्त परिपत्र में प्रावधान किया गया है कि अवार्ड एवं सजा के अंक एक से अधिक पदोन्नति में विचार नहीं किया जायेगा। अपीलार्थी द्वारा उप निरीक्षक के पद पर दिनांक 24.01.2016 को पदोन्नत किया गया था। इसलिए वर्ष 2012–13 से अवार्ड एवं सजा के प्राप्तांक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति देते समय विचार नहीं किया गया था। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी विभाग के जवाब पर जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत किया कि माननीय खण्ड पीठ के डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 309/98 श्री गोकुल सिंह बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय दिनांक 07.11.2001 (अनुलग्नक–8) में सेवा/अनुभव/पात्रता तथा वरिष्ठता के सुसंगत प्रावधानों पर विचार कर यह माना कि वरिठता/अनुभव की गणना उसी तिथि से की जानी है, जिस रिक्ति वर्ष की रिक्तियां है। पीसीसी मात्र पूर्ति की शर्त है ना कि पदोन्नति हेतु कोई दिनांक /तिथि यह नियम 36 के स्पष्टीकरण में भी स्पष्ट है। माननीय न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आंशिक संशोधन कर योग्यात्मक परीक्षा में कार्मिकों की योग्यता/पात्रता/अनुभव की गणना के साथ साथ वरिष्ठता की गणना भी वित्तीय वर्ष की प्रथम अप्रेल से की जावेगी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियम 36 की अनुपालना में अपीलार्थी को एक तरफ तो वर्ष 2012–13 की रिक्ति के विरूद्ध उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नति दी गई है तथा अवार्ड एवं सजा के प्राप्तांक वर्ष 2012–13 से न देकर उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नति दिनांक से गणना की गई है, जो नियम विरूद्ध है।

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपील के माध्यम से प्रार्थना की गई है कि वर्ष 2019–20 के लिए निरीक्षक

के पद के लिए की गई पदोन्नति अवैध घोषित की जावे तथा अपीलार्थी से वर्ष 2012–13 से 2019 तक के सेवाभिलेख/अवार्ड/रिवार्ड/प्रशस्ति प्रमाण पत्र के संबंध में विचार करते हुए अपीलार्थी को निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किए जाने के आदेश प्रदान किए जावे। अपील में वर्णित तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक 4238 दिनांक 02.06.2021 वर्णित संशोधन को आधार माना है। उक्त संशोधन में अंकित किया गया है कि ''वर्तमान धारित पद पर पदोन्नति हेतु जिस वित्तीय वर्ष की रिक्तियों के विरूद्ध चयन किया गया है उसी वित्तीय वर्ष से उच्च पद की योग्यात्मक परीक्षा के वित्तीय वर्ष की रिक्तियों के पहले (अर्थात 31 मार्च) तक के पुरस्कार व सजा के अंकों की गणना की जायेगी। लेकिन पुरस्कार व सजा के अंकों की गणना एक से अधिक पद की पदोन्नति प्रक्रिया हेतु नहीं की जायेगी।''

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब में अंकित किया गया है कि ''It is submitted that though the appellant was successful in the three papers individually but failed to secure the aggregate marks required to clear the examination. Thus, the appellant was not eligible for consideration in the review committee. Moreover, the examination was conducted in terms of the standing order no 15/2017 dated 01-11-2017, which specifically provided that the marks for awards and punishement obiained during the period served as Sub Inspector were only to be taken in to consideration. Further, the aforesaid standing ofer has been uniformly applied to all the candidates that had appeared for the examination held in the year 2019 for promotion from Sub- Inspector to Inspector."

"It is submitted that the rule 36 is relevant for the purpose of determination of seniority and is not relevant for the purpose of awarding marks for promotional examination. Further, it is stated that the averments need no specific reply in terms of the submission made above in this reply."

"It is submitted that the said order dated 2/6/2021 is of no support to the case of the appellant as firstly the order dated 2/6/2021 has been passed after declaration of the final result of examination held in 2019; and, secondly, even in the order dated 2/6/2021 it has been specifically stated that the points for awards and punishment cannot be taken into consideration for more than one promotion. The appellant herein was promoted to the post of Sub-Inspector on 24/1/2016 and it iis not the case of the appellant that the points for award and punishment from the year 2012-13 to the year of his promotion to Sub-inspector were not taken into consideration at the time of his promotion to Sub-inspector." तथा इसके समर्थन में अनुलग्नक–आर/1 तथा आर/2 संलग्न किए गए है। महानिदेशक पुलिस द्वारा जारी संशोधित आदेश दिनांक 02.06.2021 का लाभ 02.06.2021 से ही दिया जा सकता है, इसके पूर्ववर्ती वर्षो के लिए नहीं दिया जा सकता है तथा अपीलार्थी के द्वारा वर्ष 2012–13 से 2016 तक के अवार्ड/रिवार्ड/प्रशस्ति

प्रमाण पत्रों का लाभ अपीलार्थी की वर्ष 2016 में उप निरीक्षक के पद पर हुई पदोन्नति के समय दिया जा चुका है। अतः वर्ष 2012–2013 से उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नति तक के प्रशस्ति प्रमाण पत्रों का लाभ नियमानुसार पुनः नहीं दिया जा सकता है तथा जब अपीलार्थी नियमानुसार आवश्यक कुल समग्र प्राप्तांक (aggregate marks) ही प्राप्त करने में असफल रहा है, तो निरीक्षक पद की पदोन्नति के लिए पात्र नहीं माना जा सकता है। अतः प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिए गए जवाब तथा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा की गई कार्यवाही सही एवं उचित है, अपीलार्थी अपनी अपील के बिन्दुओं को नियमों के संदर्भ में प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक............................को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(एम.एस.काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य